बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–................................/ पटना, दिनांकः–...........................

03/उ०नि०/भवन निर्माण (जि0 उ0 के0)भोजपुर–02/10

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (आरा) के कार्यालय भवन निर्माण हेतु कुल ₹15,08,730 (पन्द्रह लाख आठ हजार सात सौ तीस) मात्र अन्तर राशि की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1222, दिनांक–13.03.2012 के क्रम में कहना है कि जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (आरा) के भवन निर्माण हेतु कुल **₹15,08,730 (पन्द्रह लाख आठ हजार सात सौ तीस)** मात्र अन्तर राशि की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (आरा) का भवन निर्माण कार्य पूरा होंने के उपरान्त शेष बची हुयी राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु किया जायेगा। जिसका कार्यान्वयन एजेन्सी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना है।

3. उक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल वास्तविक व्यय ₹1,14,96,730 (एक करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार सात सौ तीस मात्र) पर घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त हैं।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचना का सृजन विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड P2852801020163, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5434, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद से तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में यर्थेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करते हुये RTGS/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना"** को उपलब्ध करायेगे। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 1380 दिनांक 19.02. 2008 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5434 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में योजना कोड अवश्य अंकित करेंगे।

7. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इसका अनुश्रवण करेंगे।

8. राशि की निकासी BTC-25 पर की जायेगी।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–03/उ०नि०/भवन निर्माण(जि0उ0के0)भोजपुर–02/10 के पृष्ट–48/टि0 पर दिनांक 17.03.2016 को प्राप्त है।

क्र०प०उ०....

D:drive_suject_Dharmendra sir_ Sanction Order\2015-16---- --15

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–*03/उ0नि0/भवन निर्माण(जि0उ0के0)भोजपुर–02/10* के पृष्ट–**50**/टि0 पर 18.03.16 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या–**84/OSD**, दिनांक **18.03.16** है।

11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि(2) दिनांक–13.09.2008 एवं निहित पत्रांक–2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–2938 वि(2), दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा। तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांकः–..........................
03/उ0नि0/भवन निर्माण (जि0 उ0 के0)भोजपुर–02/10
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../. पटना, दिनांकः–..........................
03/उ0नि0/भवन निर्माण (जि0 उ0 के0)भोजपुर–02/10
प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–....1206..../. पटना, दिनांकः–...21.03.16
03/उ0नि0/भवन निर्माण (जि0 उ0 के0)भोजपुर–02/10
प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
18/3/16